बिहार विधान सभा सचिवालय
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना
NIT No.-12/2022

बिहार विधान सभा सचिवालय, माननीय अध्यक्ष महोदय का आवासीय कार्यालय--02 देशरत्न मार्ग, सचिव, बिहार विधान सभा के आवासीय कार्यालय 09 हार्डिंग रोड, प्रभारी सचिव के आवासीय कार्यालय 26 एम स्ट्रेण्ड रोड एवं बिहार विधान सभा के अतिथि निवास न्यू पुनाईचक, पटना स्थित आवंटित फ्लैट संख्या–04/06, 06/84 एवं 22/84 पटना में अधिष्ठापित विन्डो ए०सी० स्टेबलाईजर के साथ 98 अदद, स्पीलीट ए०सी० स्टेबलाईजर के साथ 132 अदद, (जिसमें 117 दो वर्ष के लिए एवं 15 नया एक वर्ष के अवधि के लिए) रेफ्रीजरेटर स्टेबलाईजर के साथ 06 अदद एवं गीजर–16 अदद, वाटर कूलर–13 अदद एवं वाटर प्यूरिफायर–54 अदद का वार्षिक संपोषण दो वर्ष के लिए ख्याति प्राप्त एवं पर्याप्त अनुभव रखने वाले आपूर्तिकर्त्ताओं, प्रतिष्ठानों एवं संवेदकों से सीलबंद लिफाफे में निविदायें दिनांक 15.11.2022 को 03:00 बजे अप० तक सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय के पदनाम से उनके कार्यालय कक्ष में यथा निर्धारित शर्त्तो के अधीन आमंत्रित की जाती है।

सभा प्राप्त निविदायें दिनांक–16.11.2022 को 04:00 बजे अप० में प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेंगी, जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

निविदा एवं इससे संबंधित शर्त्तो बिहार विधान सभा के बेवसाईट www.vidhansabha.bih.nic.in पर देखी जा सकती है तथा इस संबंध में कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। एतद् विषयक पूर्व प्रकाशित निविदा NIT No.-09/2022 को रद्द किया जाता है ।

संजय कुमार सिंह
उप निदेशक
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

बिहार विधान सभा सचिवालय
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना
NIT No.-12/2022

बिहार विधान सभा सचिवालय, माननीय अध्यक्ष महोदय का आवासीय कार्यालय–02 देशरत्न मार्ग, सचिव, बिहार विधान सभा के आवासीय कार्यालय 09 हार्डिंग रोड, प्रभारी सचिव के आवासीय कार्यालय 26 एग स्ट्रैण्ड रोड एवं बिहार विधान सभा के अतिथि निवास न्यू पुनाईचक, पटना स्थित आवंटित फ्लैट संख्या–04/06, 06/84 एवं 22/84 पटना में अधिष्ठापित विन्डो ए0सी0 स्टेबलाईजर के साथ 98 अदद, स्पीलीट ए0सी0 स्टेबलाईजर के साथ 132 अदद, (जिसमें 117 दो वर्ष के लिए एवं 15 नया एक वर्ष के अवधि के लिए) रेफ्रीजरेटर स्टेबलाईजर के साथ 06 अदद एवं गीजर–16 अदद, वाटर कूलर–13 अदद एवं वाटर प्यूरिफायर–54 अदद का वार्षिक संपोषण दो वर्ष के लिए ख्याति प्राप्त एवं पर्याप्त अनुभव रखने वाले आपूर्तिकर्त्ताओं, प्रतिष्ठानों एवं संवेदकों से सीलबंद लिफाफे में निविदायें दिनांक 15.11.2022 को 03:00 बजे अप0 तक सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय के पदनाम से उनके कार्यालय कक्ष में यथा निर्धारित शर्त्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है।

सभा प्राप्त निविदायें दिनांक–16.11.2022 को 04:00 बजे अप0 में प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेंगी, जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

निविदा एवं इससे संबंधित शर्त्तों बिहार विधान सभा के बेबसाईट www.vidhansabha.bih.nic.in पर देखी जा सकती है तथा इस संबंध में कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। एतद् विषयक पूर्व प्रकाशित निविदा NIT No.-09/2022 को रद्द किया जाता है ।

निर्धारित शर्त्तेः–

1. निविदादाता अपनी निविदा सभी ए0सी0 रेफ्रीजरेटर एवं गीजर का भौतिक निरीक्षण के पश्चात् समर्पित करेंगे।
2. निविदा के साथ फर्म / प्रतिष्ठानों का निबंधन प्रमाण–पत्र, जी0एस0टी0 नम्बर, अद्यतन आयकर का चुकता प्रमाण–पत्र, कार्य अनुभव (तीन वर्षो का)विधुत कार्य का लाईसेंस एवं निविदा के कभर पर फर्म / प्रतिष्ठानों का पूरा नाम / दूरभाष / मोबाईल नंम्बर अंकित होना चाहिए।
3. ए0सी0 रेफ्रीजरेटर एवं गीरज का मरम्मत वाटर कूलर / वाटर प्यूरीफायर (पार्ट्स, कम्प्रेशर मेम्ब्रेना, फिल्टर इत्यादि का रिप्लेसमेंट सहित) के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
4. सभी ए0सी0 रेफ्रीजरेटर एवं गीजर, वाटर प्यूरीफायर का मौसमी परिचालन पूर्व उसकी सर्विसिंग (Servicing) मरम्मति अनिवार्य होगी जो उनके अधिष्ठापित स्थान पर ही की जाएगी।
5. संधारणकर्त्ता को नियमित रूप से ए0सी0 रेफ्रीजरेटर एवं गीजर का निरीक्षण कर मरम्मति का कार्य करना होगा तथा ए0सी0 के खराब होने की सूचना प्राप्त

होते ही तुरन्त संबंधित स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, और यथाशीघ्र खराबी दूर कर उसे चालू करना आवश्यक होगा। इस कार्य हेतु, स्थायी रूप से मैकैनिक की प्रतिनियुक्ति सभा सचिवालय में अनिवार्य होगी।

6. कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में 15 (पंद्रह) दिनों के पूर्व सूचना देकर कभी भी कार्यादेश को विखंडित / रद्द कर दिया जायेगा।
7. वार्षिक रख-रखा की गणना कार्यादेश निर्गत होने की तिथि एवं एकरारनामा की कार्रवाही के बाद दो वर्ष के अवधि के लिए मान्य होगी।
8. वर्णित उपकरणों के सम्पोषण के उपरान्त कार्य संतुष्टि प्रमाण-पत्र के आधार पर 06 माह के अवधि का भुगतान किया जा सकेगा।
9. निविदा को बिना कारण बताये रद्द / अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार सभी सचिवालय को सुरक्षित रहेगा।

संजय कुमार सिंह
उप निदेशक
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।